41

पत्र संख्या : 7ब/4701 यो०ज०सं०–10/12

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची/यांत्रिक राँची/देवघर/ईचा–गालूडीह;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 5.6.12

विषय :– मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण विपत्र कोड 49P470180796460543 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू० में)
1	2	3	4	5
1.	49–जल संसाधन विभाग/ 4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80–सामान्य	796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना/46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन	05–निर्माण, 43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण 49P470180796460543	**241.750**

आवंटित राशि – ₹ दो करोड़ एकतालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र।

---

2. आवंटित राशि वर्ष 2012–2013 के बजट उपबंध **रू० 650.00 लाख (छः करोड़ पचास लाख)** मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

(सुरेश प्रसाद भगत)	(सुबोध कुमार सिन्हा)	(बी० सी० निगम)
सहायक अभियंता	संयुक्त सचिव (अभि०)	विशेष सचिव

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : **यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।**

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 41 रॉची, दिनांक :– 5.6.12

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड पो० – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/ डोरण्डा/देवधर/दुमका/जमशेदपुर/चाईबासा/सरायकेला–खरसाँवा/सिडेगा** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 41 रॉची, दिनांक :– 5.6.12

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) रॉची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– यथोक्त

(सुरेश प्रसाद भगत) सहायक अभियंता	(सुबोध कुमार सिन्हा) संयुक्त सचिव (अभि०)	(बी० सी० निगम) विशेष सचिव	**(एस० के० शतपथी)** प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक..... 41 दिनांक .....5.6.12 का अनुलग्नक परिशिष्ट – 1

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय
उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य
लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्रीय उप योजना,
उप शीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन।
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण 43 अनुरक्षण,मरम्मति एवं सुसज्जीकरण
विपत्र कोड– 49पी.470180796460543
वित्तीय वर्ष 2012–13 में बजट उपबंध रू. 650.00 लाख मात्र।

राशि (लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	मार्च 2012 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवंटन			अभ्युक्ति
							पूर्व का आबंटन	वर्त्तमान आबंटन	कुल आवंटित राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिंचाई प्रमंडल दुमका	देवघर	बड़ानदी जलाशय योजना	97.281	43/06-07 दिनांक 30.03.2007	65.496	0.000	31.000	**31.000**	
			कैराबनी जलाशय योजना	90.58	44/06-07 दिनांक 30.03.2007	68.747	0.000	20.750	**20.750**	
2	जलपथ प्रमंडल, राँची	राँची	कीता वीयर योजना का पुनर्स्थापन	264.98	20/ दिनांक 19.11.10	30.000	0.000	130.000	**130.000**	
3	खरखई बाँध प्रमण्डल सं०–2, ईचा–चालियामा	ईचा–गालूडीह	मुरम सोना सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन	68.68	10/11–12 दिनांक 03.05.2011	15.300	0.000	40.000	**40.000**	
4	जलपथ प्रमंडल स.–1, सिमडेगा	राँची	चिन्दा जलाशय योजना (पुनर्स्थापन कार्य)	497.27	63/09–10 दिनांक 15.06.2009	0.000	0.000	20.000	**20.000**	बांयी मुख्य नहर का पुन. कार्य (लाईनिंग सहित) (i)2F2/10-11 (0.0 से 8.7 कि.मि.) ₹ 18.00 लाख (ii) 8.7 से 13.77 कि. मि.) (1F2/10-11 02.00 लाख
					योग	**179.543**	**0.000**	**241.750**	**241.750**	

आवंटित राशि –₹ दो करोड़ एकतालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव, अभि.

(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव